न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 131/2025

दायर दिनांक–26.05.2025

1. झाबर पत्र रामनारायण
2. भंवरलाल पुत्र रामनारायण
3. मुकेश पुत्र रामनारायण
4. मोहरी देवी पत्नी रामनारायण समस्त जाति अहीर निवासीगण परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–वादीगण

1. कन्हैयालाल पुत्र रामनारायण
2. रामनारायण पुत्र झुथाराम जाति अहीर निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री संदीप कुमार
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक–31.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1366, 1368, 1370, 1371 रकबा क्रमशः 0.56, 0.080, 2.80, 2.69 कुल किता 4 कुल रकबा 6.13 है0 तथा ग्राम चौढाणी पटवार हल्का परसरामपुरा में भूमि ख0 नं0 980 रकबा 1.46 है0, खसरा नम्बर 1003, 1005, 956 रकबा क्रमशः 0.030, 0.040, 0.22 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29, खसरा नम्बर 1028, 1029 रकबा क्रमशः 0.020, 1.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 है0 तथा राजस्व ग्राम खैसवा की ढाणी पटवार हल्का परसरामपुरा में स्थित भूमि ख0 नं0 64, 65 रकबा क्रमशः 0.37, 1.60 कुल किता 2 कुल रकबा 1.97 है0, खसरा नम्बर 197, 198 रकबा क्रमशः 3.24, 1.90 भूमि स्थित है।

उक्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 खातेदार काश्तकार है व काबिज है। इसके विपरित उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 व प्रतिवादी सं0 1 के पिता का नाम प्रहलाद है व अन्य दस्तावेजों में नाम रामनारायण दर्ज है। अतः वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के पिता का नाम प्रहलाद के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में रामनारायण किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

ग्राम चौढाणी पटवार हल्का परसरामपुरा में भूमि ख0 नं0 980 रकबा 1.46 है0, खसरा नम्बर 1003, 1005, 956 रकबा क्रमशः 0.030, 0.040, 0.22 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 है0 भूमि में कन्हैलाल का नाम कानाराम दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर कन्हैयालाल दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु गवाह मुकेश, कन्हैयालाल व रामनारायण का चीफ का सपथ पत्र पेश किया।। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में नकल [illegible] आधार कार्ड, राशन कार्ड व पहचान पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौरान बहस में वाद [illegible] तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि के वादी[illegible] व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादीग[illegible] प्रतिवादी संख्या 01 के पिता [illegible] नाम रामनारायण के स्थान पर कानाराम दर्ज गलत रूप से दर्ज कर दिया गया तथा कन्हैयालाल का नाम कानाराम दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:14 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

—:: आदेश ::—

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1366, 1368, 1370, 1371 रकबा क्रमशः 0.56, 0.080, 2.80, 2.69 कुल किता 4 कुल रकबा 6.13 है0 तथा ग्राम चौढाणी पटवार हल्का परसरामपुरा में भूमि ख0 नं0 980 रकबा 1.46 है0, खसरा नम्बर 1003, 1005, 956 रकबा क्रमशः 0.030, 0.040, 0.22 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29, खसरा नम्बर 1028, 1029 रकबा क्रमशः 0.020, 1.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 है0 तथा राजस्व ग्राम खैसवा की ढाणी पटवार हल्का परसरामपुरा में स्थित भूमि ख0 नं0 64, 65 रकबा क्रमशः 0.37, 1.60 कुल किता 2 कुल रकबा 1.97 है0, खसरा नम्बर 197, 198 रकबा क्रमशः 3.24, 1.90 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम प्रहलाद के स्थान पर रामनारायण दुरूस्त किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चौढाणी पटवार हल्का परसरामपुरा में भूमि ख0 नं0 980 रकबा 1.46 है0, खसरा नम्बर 1003, 1005, 956 रकबा क्रमशः 0.030, 0.040, 0.22 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 है0 भूमि में कानाराम के स्थान पर कन्हैयालाल दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट—ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:14 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 131/2025 **(झाबर बनाम कन्हैयालाल आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1366, 1368, 1370, 1371 रकबा क्रमशः 0.56, 0.080, 2.80, 2.69 कुल किता 4 कुल रकबा 6.13 है0 तथा ग्राम चौढाणी पटवार हल्का परसरामपुरा में भूमि ख0 नं0 980 रकबा 1.46 है0, खसरा नम्बर 1003, 1005, 956 रकबा क्रमशः 0.030, 0.040, 0.22 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29, खसरा नम्बर 1028, 1029 रकबा क्रमशः 0.020, 1.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 है0 तथा राजस्व ग्राम खैसवा की ढाणी पटवार हल्का परसरामपुरा में स्थित भूमि ख0 नं0 64, 65 रकबा क्रमशः 0.37, 1.60 कुल किता 2 कुल रकबा 1.97 है0, खसरा नम्बर 197, 198 रकबा क्रमशः 3.24, 1.90 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम प्रहलाद के स्थान पर रामनारायण दुरूस्त किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चौढाणी पटवार हल्का परसरामपुरा में भूमि ख0 नं0 980 रकबा 1.46 है0, खसरा नम्बर 1003, 1005, 956 रकबा क्रमशः 0.030, 0.040, 0.22 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 है0 भूमि में कानाराम के स्थान पर कन्हैयालाल दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मौहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:14 IST
Reason: SelfAttested